(12)

GOVERNMENT OF JHARKHAND

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

File No.- Va0 Kar/GST/ 16 /2017 - 3883 /Ranchi, Dated- 18/10/17

Order No. 01/2017-GST

JHARKHAND GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2017

Order No. 01/2017-State Tax

S.O. (E). – Whereas, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Jharkhand Goods and Services TaxAct, 2017 (12 of 2017), hereinafter in this order referred to as the said Act, in so far as it relates to the provisions of section 10 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. This Order may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017.

2. For the removal of difficulties,-

(i) it is hereby clarified that if a person supplies goods and/or services referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act and also supplies any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, the said person shall not be ineligible for the composition scheme under section 10 subject to the fulfilment of all other conditions specified therein.

(ii) it is further clarified that in computing his aggregate turnover in order to determine his eligibility for composition scheme, value of supply of any exempt services including services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account.

18/10/17

(K.K.Khandelwal)
Principal Secretary-cum- Commissioner,
Commercial Taxes Department,
Jharkhand, Ranchi

(11)

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

संचिका संख्या–वाकर/GST/16/2017 - 3883 राँची, दिनांक– 18/10/17

झारखण्ड माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017

आदेश 01/2017- राज्य कर

जहाँ कि झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है, के प्रावधानों को लागू करने में कठिनाई आई है, जहां तक की इसका संबंध उक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों से है;

अतः अब झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 172 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, परिषद की सिफारिश पर, एतत् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, यथा

1. इस आदेश को झारखण्ड माल एवं सेवाकर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017 कहा जाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए,-

(i) एतत् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी माल और/या झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची !! के पैराग्राफ 6 के उप-वाक्य (ख) में संदर्भित सेवाओं की आपूर्ति करता है और ऐसी कोई छूट प्राप्त सेवाओं की भी आपूर्ति करता है, जिनमें वे सेवाएं भी आती हैं जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं, जहां तक ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिसन स्कीम का तब तक अपात्र नहीं होगा जब तक की इसमें विनिर्दिष्ट अन्य सभी शर्तें पूरी न होती हों।

(ii)आगे और भी यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिसन स्कीम के लिए उसकी पात्रता का निर्धारण करने में उसके सकल कारोबार की गणना करने में किसी छूट प्राप्त सेवा की आपूर्ति के मूल्यको, जिसमें वे सेवाएं भी आती हों जोकि जमा, श्रण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती हैं जहां तक इसके प्रतिफल की अभिव्यक्ति ब्याज या छूट (डिस्काउंट) के माध्यम से हुआ हो, शामिल नहीं किया जाएगा।

18/10/17

(के0के0खण्डेलवाल)

प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।